Statutory Resolultion Re: Approval for amending the first schedule of Customs Tarrif Act, 1975

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय, मैं श्रीमती निर्मला सीतारण जी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

?कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।?

माननीय सभापति : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

?कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (**अ**) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री मनीष तिवारी जी ।

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय सभापति जी, जब अविश्वास प्रस्ताव इस पटल पर रखा गया हो, तब यह स्टेचुटरी रेज़ोल्यूशन इल्लिगल है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8क(1) के अनुसरण में, यह सभा दिनांक 30 जून, 2023 की अधिसूचना संख्या 40/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.469 (अ) दिनांक 30 जून, 2023] और दिनांक 1 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 43/2023-सीमा शुल्क [सा.का.नि.473 (अ) दिनांक 1 जुलाई, 2023] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है, जिनका आशय तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), प्रापेन और ब्यूटेन पर आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन करना है।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय सभापति : आइटम नंबर ? 19, श्री अर्जुन मुंडा जी ।

14.10 hrs